ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 291-295**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं, कला व संस्कृति संबंधी प्रावधानों का समग्र अवलोकन

अतुल गुर्टू

असिसटेंट प्रोफेसर– के पी ट्रेनिंग कॉलेज, प्रयागराज (उ0प्र0) भारत

Received-15.03.2023, Revised-22.03.2023, Accepted-27.03.2023 E-mail: anukaran.13@gmail.com

सारांश: ***किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके भव्य भवनों अथवा विपुल भौतिक संसाधनों से नहीं होती अपितु विविध समृद्ध भाषाओं, उत्कृष्ट साहित्य, कला एवं संस्कृति तथा उत्कृष्ट परम्पराओं व महापुरुषों के आदर्श और प्रेरक जीवन से होती है। भारत उन्नत भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति का अपरिमित भंडार रहा है। विगत वर्षों में गठित अनेक आयोगों ने भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु अनेक सुझाव दिए किन्तु उनके अनुपालन का सही से प्रयास नहीं किया गया।***

राष्ट्रीय शिक्षा निति – 2020 के अंतर्गत उक्त विषय पर विशेष ध्यान दिया गया है जिससे "विश्वबंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित हो सके। प्रायः कहा जाता है कि "शिक्षा ही जीवन है एवं जीवन ही शिक्षा है।"

कुंजीभूत शब्द– भौतिक संसाधनों, उत्कृष्ट साहित्य, कला एवं संस्कृति, उत्कृष्ट परम्पराओं, प्रेरक जीवन, संरक्षण, संवर्द्धन।

सचमुच किसी भी देश की वास्तविक प्रगति उस देश के नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर करती है। शिक्षा ही वह अमूल्य निधि है, जो मनुष्य को विश्व के अन्य प्राणियों से अलग करते हुए श्रेष्ठ एवं सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने योग्य बनाती है। शिक्षा के अभाव में ना केवल व्यक्ति का बल्कि संपूर्ण समाज का विकास अवरूद्ध हो जाता है। शिक्षा के इन्ही महत्व को देखते हुए भारत सरकार द्वारा समय समय पर कई राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को लागू किया गया ताकि शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से पहुँचाया जो सके। किसी भी देश की उन्नत्ति का आधार उस देश की शिक्षा नीति पर आधारित होता है। भारत में 34 वर्ष उपरांत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित कि गई है।

भाषा की परिभाषा– भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों व वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधी स्वर एक व्यवस्था में मिलकर एक सम्पूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के 'भाष' धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है– बोलना या कहना।
व्यक्त नाद की वह समष्टि है जिसकी सहायकता से किसी समाज या देश के लोग अपने मनोभाव तथा विचार एक–दूसरे तक पहुँचाते हैं या प्रकट करते है । भाषा हमारे आभ्यान्तर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक व सांसकृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास ता परम्परा से विभिन्न है।

राष्ट्रभाषा– राष्ट्रभाषा "राष्ट्र" शब्द का प्रयोग किसी देश तथा वहाँ बसने वाली जनता दोनों के लिए किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है उसमें अनेक जातियों और धर्मों को मानने वाले लोग सम्मिलित होते है। विभिन्न प्रांतों के निवासी विभिन्न प्रकार की भाषाएँ बोलते है। इन विभिन्नता के साथ उनमें एकता भी रहती है। पूरे राष्ट्र का शासन एक ही केन्द्र द्वारा संचालित होता है।

अतः राष्ट्र की एकता को और भी दृढ़ बनाने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र के महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। ऐसी व्यापक भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है ।

राजभाषा– किसी भी राज्य या देश की घोषित भाषा जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है, राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद– 343 (1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिन्दी कोळरतीय संघ की राजभाषा 14 सितम्बर, 1949 को घोषित किया गया। इसी याद को ताजा रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद– 351 में संघ को यह कर्त्तव्य सौंपा गया है कि हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाये, उसका विकास करें, जिससे भारत की सामाजिक सांसकृति के सभी तत्वों का माध्यम बन सके ।

मातृभाषा एवं उसका महत्व– जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते है मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। मातृभाषा ही किसी भी व्यक्ति के शब्द और सम्प्रेषण कौशल की उद्‌गम होती है। एक कुशल सम्प्रेषक अपनी मातृभाषा के प्रति उतना ही संवेदनशील होगा जितना विषयवस्तु के प्रति। मातृभाषा से इतर राष्ट्र के संसकृति की संकल्पना अपूर्ण है। मातृभाषा मानव चेतना के साथ–साथ लोकचेतना और मानवता के विकास का भी अभिलेखागार होती है।

घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जानेवाली भाषा होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 में यह कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ऐसा करने से बच्चा पढ़ने की सामग्री को किताबी भाषा में न रटकर, मानसिक समझ को बढ़ावा देगा व अधिक से अधिक ज्ञान

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्जित कर पायेंगें। यह ज्ञान बालक को अधिक समय तक याद रहेगा। जो चीजें हम अपनी भाषा में सीख व समख सकते हैं वह किसी अन्य भाषा में उतनी बेहतर तरीके से करना संभव नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एक ऐसी नीति है जिसमें सभी स्तरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि शिक्षा को समावेशी के साथ–साथ आसानी से स्मरण व समझ योग्य बनाया जा सकें।

शब्दों के अस्मिता की पड़ताल के दौरान लोक अभिलेखागार को देखा जा सकता है। कबीर ने लिखा–

''चलती चक्की देखकर, दिया कबीरा रोय ।
दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोए ।।''

कबीर के दोहे से यह साबित होता है कि हमलोग अपनी प्रकृति से सीखते गए, उसको अभिव्यक्त करते गए, उसको सम्प्रेषित करते गए, क्योकि हमे पता था कि आनेवाली पीढ़ियों को अपना अनुभव आवश्यक है।

महत्व– आज डिफेंस और डिजास्टर की समझ को लेकर जन जातियो की प्रासंगिता उनकी मातृभाषा के कारण ही है अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की जरवा जनजाति कि अपनी डिजास्टर संचार व्यवस्था रही होगी क्योंकि सुनामी तो हजार सालों में एक बार आती होगी लेकिन उनकी मातृभाषा के कारण संचार व्यवस्था संरक्षित रहीं। यहा अगर उनकी मातृभाषा बदल दी गयी होती तो उनका ज्ञान भी मिट गया होता। यही कारण है कि डिजास्तर मैनेजमेंट का 'लाइफ फ्लेम वन– 2016' स्थानीय ज्ञान के महत्व की बात करता है, जो स्थानीय भाषा से ही सम्भव है।

आर्थिक सम्पन्नता– किसी भी समाज या देश की मातृभाषा उस समाज के संस्कृति की परिचायक ही नहीं बल्कि आर्थिक सम्पन्नता का आधार भी होती है। मातृभाषा का नष्ट होना राष्ट्र की प्रासंगिकता का नष्ट हो ना होता है । मातृभाषा को जब अर्थव्यवस्था की दृष्टी से समझने की कोशिश करते है तो यह अधिक प्रासंगिक और समय सापेक्ष मालूम पड़ता हैं। किसी भी समाज की संस्कृति समाज के खान पान और पहनावे से परिभाषित होती है, यही खानपान और पहनावा जब अर्थव्यवस्था का रूप ले लेता है तो यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।

उदाहरण– फास्टफूड– चाऊमीन एवं ममोज, महाराष्ट्र का पोहा, दक्षिण भारत की इडली, बिहार का लिट्टी चोखा, यह स्थान क्यों नहीं बना पाया असल में हमने अपनी रसाई से मातृभाषा को लुप्त कर दिया। विचार कीजिए कि अगर अमेरिका गया भारतवासी अपने किचन में अपनी भाषा प्रयोग में लाती तो उसके साथ उसका पोहा, जलेबी, ईडली, लिट्टी चोखा भी प्रयोग में आता और ये सब जब प्रयोग में आता तो उसको बनने वाले लोगो को रोजगार मिलता तथा कारीगर सम्पन्न होते ऐसे में देश और समाज भी सम्पन्न होता। भाषा का जटिल या आसान होना उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। जिन घरों में माताजी और पिता जी के स्थान पर मॉम और डैड जैसे शब्द प्रयोग हो रहे है वहाँ माताजी और पिता जी ज्यादा कठिन प्रतीत होने लगता है। यह भाषा के प्रयोग और परिणाम का स्पष्ट संकेत है । भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने लिखा है–

''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन न हिय के सूल।''

अर्थात मातृभाषा के बिना किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। ना राष्ट्र का निर्माण सम्भव है। अतः मातृभाषा के महत्व को इस रूप में समझ सकते हैं कि अगर हमको पालने वाली माँ होती है तो हमारी मातृभाषा भी हमारी माँ है इसलिए इसे मॉ और मातृभूमि के बराबर दर्जा दिया गया है।

संस्कृति– अंग्रेजी शब्द ''कल्चर लैटिन भाषा के शब्द ''कल्ट'' या ''कल्टस'' से लिया गया है, जिसका अर्थ है, जोतना, विकसित करना या परिष्कृत करना और पूजा करना । संक्षेप में, किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित और परिष्कृत करना कि इसका अन्तिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। यह ठीक उसी तरह है जैसे संस्कृत भाषा का शब्द ''संस्कृति संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा की धातु कृ' (करना) से बना है। इस धातु से तीन शब्द बनते है, ''प्रकृति'' (मूल स्थिति), ''संस्कृति'' (परिष्कृत करना) और ''विकृति'' (अवनति स्थिति)। संस्कृति जीवन की विधि है जो भोजन आप खाते है, जो कपड़े आप पहनते है, जो भाषा आप बोलते हैं और जिसे भगवान की आप पूजा करते है ये सभी संस्कृति के पक्ष है। सरल शब्दों में हम कह सकते है कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसमे हम सोचते है और कार्य करते है।

यह वह गुण है जो हमें मनुष्य बनाता है। संस्कृति के बीना मनुष्य ही नहीं रहेगें। संस्कृति परम्पराओं से, विश्वासों से जीवन की शैली से अध्यात्मिक पक्ष से भौतिक पक्ष से निरन्तर जुड़ी है। यह हमें जीवन का अर्थ, जिवन जीने का तरीका सिखाती है। मानव ही संस्कृति का निर्माता है और साथ ही संस्कृति मानव को मानव बनाती है। संस्कृति का एक मौलिक तत्व है धार्मिक विश्वास और उसकी प्रतिकात्मक अभिव्यक्ति हमें धार्मिक पहचान का सम्मान करना चाहिए, साथ ही सामयिक प्रयत्नों से भी परिचित होना चाहिए जिनसे अन्तः धार्मिक विश्वासों की बात चित हो सके, जिन्हें प्रायः अन्तः सांस्कृतिक वार्तालाप कहा जाता है। विश्व जैसे–जैसे जुड़ता जा रहा है, हम अधिक से अधिक वैश्विक हो रहें हैं और व्यापक वैश्विक स्तर पर जी रहें है। हम यह नहीं सोच सकते कि जीने का एक ही तरीका होता है और वही सत्य मार्ग है। सह–अस्तित्व की आवश्यकता ने

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

विभिन्न संस्कृतियों और विश्वासों के सह–अस्तित्व को भी आवश्यक बना दिया है।

भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ– भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परम्परागत अस्तित्व के साथ अजर–अमर बनी हुई है। इसकी उदारता तथा समन्यवादी गुणों ने अन्य संस्कृतियों को समाहित तो किया है, किन्तु अपने अस्तित्व के मूल को संरक्षित रखा है।

भारतीय कला– "कला" शब्द की उत्पत्ति कल धातु मे अच् तथा टापू प्रत्यय लगाने से हुई है, (कल् अच्टापू) जिसके कई अर्थ हैं– शोभा, अलंकरण, किसी वस्तु का छोटा अंश या चन्द्रमा का सालहवां अंश आदि। वर्तमान में कला के लिए अंग्रेजी के आर्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है या समझा जाता है, जिसे पाँच विधाओं में वर्गीकृत किया जाता है। कला का वर्गीकरण (संगीत कला, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला एवं काव्यकला) इन पाँच कलाओं को सम्मिलित रूप से ललित कलाएँ कहा जाता है।

वास्तव में कला मानव मस्तिष्क एवं आत्मा की उच्चतम एवं प्रखरतम कल्पना व भावों की अभिव्यक्ति ही है, इसलीए कलायुक्त कोई भी वस्तु बरबस ही संसार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। साथ ही वह उन्हे प्रसन्नचित एवं आहलादित भी कर देती है। वास्तव में यह कलाएँ व्यक्ति की आत्मा को झंझोड़ने की क्षमता रखती है। यह उक्ति कि भारतीय संगीत में जादू था कि "दीपक राग" के गायन से दीपक प्रज्जवलित हो जाता था तथा पशु–पक्षी अपनी सुध–बुध खो बैठते थे, कितना सत्य है, यह कहना तो कठिन है, लेकिन इतना तो सत्य है कि भारतीय संगीत या कला का हर पक्ष इतना सशक्त है कि संवेदनविहीन व्यक्ति में भी वह संवेदना के तीव्र उद्वेग को उत्पन्न कर सकता है। यदि एक सामान्य भारतीय की जीवनचर्या का अध्ययन किया जाये तो स्पष्ट है कि उसके जीवन का हर एक पहलू कला से परिपूर्ण है। जीवन के दैनिक क्रिया–कलापों के बीच उसके पूजा–पाठ, उत्सव पर्व त्योहार, शादी–विवाह या अन्य घटनाओं से विविध कलाओं का घनिष्ट सम्बंध है इसलीए भारत की चर्चा तब तक अपूर्ण मानी जाएगी. जब तक की उसके कला पक्ष को शामिल न किया जाये। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में (64) चौसठ कलाओं का उल्लेख मिलता है, जिनका ज्ञान प्रत्येक सुसंस्कृत नागरिक के लिए अनिवार्य समझा जाता था। इसलीए भर्तृहरि ने तो यहाँ तक कह डाला

'संगीत, साहित्य कला विहीनः पशुः पुच्छविषाणहीनः।।"

अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति पशु के समान है।

प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 1968

यह शिक्षा नीति कोठारी आयोग (1964–66) की सिफारिशों पर आधारित था। इसमें निम्न बिन्दु उल्लेखित है:–

- शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया।
- 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया।
- माध्यमिक स्तर पर "त्रिभाषा सूत्र" लागू किये जाने की बात कही गई।
- शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य तय किया गया।

द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 1986 (1992 में संसोधित)–

- शिक्षा में "समानता का अवसर प्रदान किया गया।
- प्राथमिक स्तर पर "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' कार्यक्रम लागू किया गया।
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविधालय और पत्राचार विश्वविधालयों एव पाठयक्रमो का विस्तार हुआ।
- तकनीकि एवं व्यावसायिक शिक्षा को प्रधानता प्रदान किया गया।
- अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन की बात कही गई।
- AIEEE, JEE, SLEEE की स्थापना की गयी।

वर्तमान समय में जब सम्पूर्ण विश्व को एक गाँव के रूप में देखा और माना जो रहा है, वैश्वीकरण बढ़ रहा है. सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार हो रहा है, संचार माध्यमों का विस्तार हो रहा है और ज्ञान – विज्ञान के क्षेत्र में अनेक खोजें हो रही हैं तब प्राचीन शिक्षा व्यवस्था उन नवीन खोज व अनुसंधान के अनुरूप वैश्विक स्तर पर योग्यता प्रदान करने में सक्षम नहीं थी। इसलिए वर्त्तमान सरकार ने शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति –2020 बनायी।

भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, वरन् किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान तथा उसकी प्राचीन संस्कृति की संवाहिका भी होती है। गुलाम देशों की अपनी कोई भाषा नहीं होती है। वे अपने शासकों की बोली बोलने को मजबूर होते है भाषा के बिना देश गूँगा होता है। कला, संस्कृति, विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, तकनीक इत्यादि सबका अधिगम भाषा ही है। शब्दों की ज्योति ना हो तो पूरे संसार में अंधेरा छा जायेगा।

विश्व इतिहास पर दृष्टि डाले तो गुलामी से आजादी के बाद दुनिया के प्रायः सभी देशों ने अपनी भाषा में अपनी

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

प्रगति का मार्ग चुना। इजरायल ने अपनी मृतप्राय हो चूकी 'हिर्बु' भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाया और आज वह भाषा पूरी दुनीया में तकनीक की प्रमुख भाषा के रूप में शामिल है। आज हिब्रु का अनुवाद अन्य भाषाओं में लोग करने को मजबूर हैं। रूस ने रशियन, चीन ने मंदारिन और जापान ने जापानी भाषा को अपनी शिक्षा–दीक्षा का माध्यम बनाया। हमारे छोटे से पड़ोसी देश नेपाल ने अपनी भाषा नेपाली को राष्ट्रभाषा बनायी। भारत इसका अपवाद रहा है। औपनिवेशिक दासता से मुक्ति के बाद एक प्राचीन राष्ट्र होते हुए भी अंग्रेजी यहाँ राजकाज एवं सम्पर्क की भाषा बनी हुई है। शिक्षा की दशा एवं दिशा सुधारने के लिए अब तक गठित लगभग सभी आयोगों ने अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करने की संस्तुति की, किन्तु परिणाम के नाम पर ढाक के वहीं तीन पात नजर आते रहें। अंग्रेजों के जाने के बाद भी सिक्का अंग्रेजी का ही कायम है।

सृजनात्मक क्षमता को जागृत करने पर जोर– रास्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में बड़ी शिद्धत के साथ इसकी कमी को महसूस किया गया और पहली बार भाषा की ताकत की पहचान करते हुए हिन्दुस्तान को अपनी वाणी दी गई है। इतना ही नहीं भाषा को शिक्षा में मुल्यबोध, दृष्टिकोण और सृजनात्मकता की कल्पना के निर्मिति का साधन भी माना गया है। नई निर्मिति शिक्षा नीति – 2020 में किशोरावस्था तक मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि मौलिक विचार अपनी मातृभाषा मे ही आते है, इसलिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए भी मातृभाषा का ही प्रयोग होना चाहिए विदेशी भाषा सीखने के चक्कर में मौलिक विचार समाप्त हो जाते है। मैकाले की शिक्षा नीति जो 1835 ई0 में लागू की गई, उससे भारत के स्थान पर यूरोपीय हितो की पूर्ति हो रही थी। प्लेटो अरस्तु सुकारात मैक्समूलर आदि तो पढाये जा रहे थे। किन्तु भारत के कपिल, कणाद, गौतम, भासकराचार्य चाणक्य ब्रह्मगुप्त, पाणिनी काव्यायन, पतंजलि, आर्यभट्ट, सुब्रमण्यम भारती, तिरूवल्ल्वर और अगस्त्य जैसे दार्शनिकों, शिक्षाविदों, तत्व चिंतकों की पूरी उपेक्षा हो रही है।

भारतीय भाषाओं का संवर्धन– भारतीय भाषाओं की हिफाजत न हो पाने के कारण विगत पाँच दशकों में देश ने 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्कों ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्रायः घोषित कर दिया है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएँ भी कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना कर रहीं है। इस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवष्यकता प्रतिपादित की गई है। भाषाएँ प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें, इसके लिए इन भाषाओं मे उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बनाए रखने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। नई शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं के संवर्धन को ध्यान में रखतें हुए सुझाव दिया गया है कि भाषाओं के शब्द भण्डार लगातार अपडेट होते रहें । कविता, उपन्यास, पत्र – पत्रीकाओं का प्रवाह बना रहे। उनका व्यापक प्रसार, समसामयिक मुद्दो और अवधारणाओं पर भाषाओं में चर्चा होती रहे, तभी भाषाओं का संरक्षण हो सकता है। विदेशी भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रु कोरियाई में यह क्रम चल रहा है, किन्तु भारत में भाषाओं को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने के मामले मे अभी तक गति काफी धीमी रही है। इसके लिए भाषा शिक्षकों की कमी दूर करने के साथ ही भाषाओं को अधिक व्यापक रूप से बातचीत और शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग में लाए जाने की आवष्यकता प्रतिपादित की गई है।

अनुभव आधारित भाषा शिक्षण– स्कूली बच्चों के भीतर कला, भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाए गए है। बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फार्मूला के क्रियान्वयन मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षण, कलाकारों, व लेखकों को स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षक के रूप में स्कूलो से जोड़ने पर जोर दिया गया है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भाषाविदों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त करने, विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करने का संकल्प लिया गया है। भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता की अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अनुवाद को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इसके लिए एक इंस्टीटयूट ऑफ ट्रांसलेशन एण्ड इंटरप्रिटेशन की स्थापना का प्रस्ताव है ।

संस्कृत को मुख्यधारा में लाने का प्रयास– देश की प्राचीन संस्कृति भाषा की प्रगति के महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्यिक, सांस्कृतिक महत्व और वैज्ञानिक प्रगति के चलते इस भाषा को उच्च शिक्षा संस्थानों में ज्ञान– विज्ञान की भाषा के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है। संस्कृत विश्व की सबसे समृद्ध भाषा है। उसमें शब्द संख्या 10 करोड़ है अंग्रेजी के मूल शब्द नौ (9) लाख है। सम्पूर्ण विश्व में हिन्दी लगभग 85 करोड़ लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है जबकी अंग्रेजी केवल मात्र 32 करोड़ लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। संस्कृत के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए इस भाषा को पाठशाला एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रख कर इसे मुख्यधारा में लाने का संकल्प लिया गया है। संस्कृत केवल एक विषय के रूप में ही नहीं, बल्कि उच्चतर शिक्षा में इसे माध्यम भाषा के रूप में प्रमुख स्थान देने की भी आवश्यकता प्रतिपादित की गई है।

भाषाओं के लिए एक नया संस्थान स्थापित करने और संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की योजना प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त सभी शास्त्रीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलगु संस्कृत, कन्नड़, मल्यालम

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

व ओडिया कुल 6 भाषा के संस्थानों तथा विश्वविधालयों का विस्तार करने, पांडुलिपि संरक्षण, अनुवाद, एवं अध्ययन को मजबूत बनाने के प्रयास की जरूरत पर भी बल दिया गया है। सभी भाषाओं के लिए आकादमी स्थापित करने तथा उसके माध्यम से नवीन अवधारणाओं के शब्द भण्डार तय किए जाने की योजना बनाई गई है। भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु वर्ग के लोगो को छात्रवृति की व्यवस्था पुरस्कार तथा भारतीय भाषाओं में प्रविणता को राजगार अहिता के मानदण्डों के एक हिस्से के तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986.
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968.
4. हिन्दी व्याकरण वासुदेवानन्द।
5. भारतीय कला एवं संस्कृति के प्रतिक डॉ0 सुरेन्द्र वर्मा (मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल)।
6. भारतीय कला एवं संस्कृति– नितिन सिंघानिया (Mc Graw Hill)
7. भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता–हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग लेखक – प्रसन्नकुमार आचार्य
8. History of Indian Culture Dr- A- K Mital (साहित्य भवन, आगरा)
9. History of Language-P. Bhagavad Dutt (Govindram Hasanand)

*****